भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या - 72**
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015/2श्रावण, 1937 (शक) को दिया गया)

**कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

***72. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :**
**श्री गजानन कीर्तिकर :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों के उचित आकलन और बेहतर निगरानी हेतु उपाय और कार्यविधि सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी; और
(घ) देश भर में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों का बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)**

**(क) से (घ) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

**कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में 24 जुलाई, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 72 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (ग) :** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीतियों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु 03 फरवरी, 2015 को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति को अपनी पहली बैठक के आयोजन के छः माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। पहली बैठक 23 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई। समिति का संघटन और विचारार्थ विषय मंत्रालय की वेबसाइट (www.mcagov.in) पर पब्लिक डोमेन में सामान्य परिपत्र संख्या 01/2015 के रूप में दिए गए हैं।

**(घ) :** कंपनियों द्वारा सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं - (i) सीएसआर कार्याकलापों में व्यापक पैमाने पर कार्यकलापों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-VII को संशोधित किया गया; (ii) दिनांक 18 जून, 2014 को एक स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूची-VII की उदार व्याख्या करने का सुझाव दिया गया; और (iii) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन जारी किए गए ताकि (क) सीएसआर के लिए 'प्रशासनिक ओवरहैड व्यय' को अनुमतियोग्य (परमिसिबल) सीएसआर व्यय के रूप में शामिल किया जा सके और (ख) कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए संसाधन एकत्र किए जा सकें। उपर्युक्त सभी मंत्रालय की वेबसाइट (www.mcagov.in) पर उपलब्ध हैं।

*****